संख्या 4338 / II–2005–03(08)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनेत्तर मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 3938/मुअवि/बजट/बी–1 दिनांक 14.10.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2005–06 में कार्यो के अनुरक्षण हेतु आयोजनेत्तर मद में रू0 2491.58 लाख (रूपये चौबीस करोड़ इक्यानवे लाख अठावन हजार मात्र) की धनराशि जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है को आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, एवं केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। खण्डवार/जनपदवार/कार्यवार फॉट की सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राविधकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी आवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर पर्चेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–।। लेखा नियम–1 आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमो

शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6– कार्यों की गुणवत्ता एवं समय बद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– अब तक स्वीकृत धनराशि के कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

8– मासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रभारा के अन्तर्गत कर लिया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 20 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–79 (ख)/वि0 XXVII(2)/2005 दिनांक 30 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

4338

संख्या / II–2005–03(08)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– निजी सचिव, राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2– महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।

3– वित्त अनुभाग–2

4– श्री एम०एल० पन्त, अवर सचिव, [illegible] अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।

6– समस्त कोषाधिकारी/जिलाधिकारी उत्तरांचल।

7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

8– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश सं0— 4339 / II—2005—03 (08)/06 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजनाओं का नाम	बजट प्राविधान	पूर्व में आवंटित	आवंटित धनराशि
	2700—मुख्य सिंचाई			
	80—सामान्य			
	052—मशीनरी तथा उपकरण			
	03—नवीन सम्पूर्ति			
1	26—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.55	0.30	—
	04—मरम्मत			
2	26—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.33	0.18	—
	800—अन्य व्यय			
	05—प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि			
3	29—अनुरक्षण	15.00	7.50	7.50
4	31—सामग्री और सम्पूर्ति	62.50	31.20	31.30
	07—मोटर गाड़ियाँ पेट्रोल आदि हेतु			
5	15—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.50	1.25	1.25
	योग 2700	***80.88***	***40.43***	***40.05***
	2701— मध्यम सिंचाई			
	10—तुमरिया योजना			
	101—रख रखाव व मरम्मत			
	02—अन्य रख रखाव व्यय			
	01—अनुरक्षण कार्य			
6	29—अनुरक्षण	206.00	103.01	102.99
	02 विशेष मरम्मत			
7	29—अनुरक्षण	69.00	34.50	34.50
	11—दून नहरें			
	101—रख रखाव और मरम्मत			
	02—अन्य रख रखाव व्यय			
	01—अनुरक्षण कार्य			
8	29—अनुरक्षण	202.00	100.99	101.01
	02—विशेष मरम्मत			
9	29—अनुरक्षण	68.00	33.98	34.02
	12—धौरा/बौर बाँध व नहरें			
	101—रख रखाव और मरम्मत			
	02—अन्य रख रखाव व्यय			
	01—अनुरक्षण कार्य			
10	29—अनुरक्षण	169.00	84.49	84.51
	02—विशेष मरम्मत			

क्र0 सं0	योजनाओं का नाम	बजट प्राविधान	पूर्व मे आवंटित	आवंटित धनराशि
11	29-अनुरक्षण	50.00	24.99	25.01
	13-अन्य सिंचाई योजनायें			
	101-रख-रखाव एवं मरम्मत			
	02-अन्य रख-रखाव व्यय			
	01-अनुरक्षण कार्य			
12	29-अनुरक्षण	160.00	79.99	80.01
	02-विशेष मरम्मत			
13	29-अनुरक्षण	53.00	26.51	26.49
	20-शोध संस्थान रूडकी (अवशेष [illegible])			
	101-रख-रखाव एवं मरम्मत			
	02-अन्य रख-रखाव व्यय			
	01-अनुरक्षण कार्य			
14	29-अनुरक्षण	30.00	15.00	15.00
	80-सामान्य			
	052-मशीनरी तथा उपस्कर			
	03-मशीन सम्पूर्ति			
15	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.55	0.27	—
	04-मरम्मत			
16	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.33	0.18	—
	800-अन्य व्यय			
	05-प्रमुख अभियन्ता की शोध प्रयोगशाला			
17	29-अनुरक्षण	15.00	7.50	—
18	31-सामग्री और सम्पूर्ति	62.50	31.25	—
	07-मोटर गाड़ियों, पेट्रोल आदि क्रय			
19	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.50	1.25	—
	योग	*1087.88*	*564.12*	*503.54*
	2702 लघु सिंचाई			
	03-रख-रखाव			
	101-जल टंकी			
	02-अन्य रख-रखाव व्यय			
20	29-अनुरक्षण	800.00	399.98	400.02
	102-लिफ्ट सिंचाई योजनायें			
	03-अनुरक्षण कार्य			
21	09-विद्युत देय	585.00	292.50	292.50
22	29-अनुरक्षण	96.00	48.00	48.00
	03-अनुरक्षण कार्य			

क्र० सं०	योजनाओं का नाम	बजट प्राविधान	पूर्व में आवंटित	आवंटित धनराशि
23	09-विद्युत देय	1625.00	412.51	812.49
24	29-अनुरक्षण	500.00	250.01	249.99
	योग	*3606.00*	*1803.00*	*1803.00*
	2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
	01-बाढ़ नियंत्रण			
	103-सिविल निर्माण कार्य			
	03-सिविल निर्माण कार्य			
25	29-अनुरक्षण 00	290.00	145.01	144.99
	योग	*290.00*	*145.01*	*144.99*
	महायोग	*5064.76*	*2552.56*	*2491.58*

(रुपये चौबीस करोड़ इक्यानबे लाख अट्ठावन हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव